

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज- दिनांक- अगस्त 27, 2021\*

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग\*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 153 वाहनों का चालान किया गया।

**\*कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*-** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर \*मास्क न लगाने वाले - 01 व्यक्ति से 1000/- रुपये शमन शुल्क\* वसूला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान\*-** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भादवि मे 20 व्यक्तियों व 110 जी जा०फौ० मे 13 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

**\*गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त सुग्रीव यादव पुत्र रामबहादुर नि० हनुमानगढ़िया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज पर मु०अ०सं०-निल/21, धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*कस्टम एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही\* –**

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही –अभियुक्त सलीम पुत्र आलम नि० इटहिया मेघौली थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 50-50 किग्रा के 6 बोरी मुर्गी का दाना बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० nil/21 धारा 11कस्टम एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**\*जुआ अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही\* –**

**\*थाना पुरंदरपुर द्वारा की गयी कार्यवाही\*** –अभियुक्तगण 1. कमलेश पुत्र चतुरसी नि० सोनवल थाना पुरंदरपुर 2. सोनू पुत्र रतिभान 3. तस्लीम पुत्र हबीब नि०गण बेलवाखुर्द थाना पुरंदरपुर 4. संजय पुत्र पारस नि० कटाईकोट थाना पुरंदरपुर 5. रामदेव पुत्र खेदू नि० सोनवल थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से ताश के 52 पत्ते व 670 रु० नगद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 185/21 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त अरुण कुमार केवट पुत्र लाल महेन्द्र नि० भूवनी थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-183/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-09 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*जनपद में 26/27-08-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 25 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***